न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज जगदीश बंजारा बनाम राज्य सरकार राज़. गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 प्रकरण संख्याः GCMS No. 33/2025	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.04.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री पुखराज रोहिण उपस्थित।	

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी जगदीश बंजारा पुत्र गोदू बंजारा निवासी ई–171, कुम्भा सर्किल के पास, आजाद नगर, बंजारा बस्ती, भीलवाड़ा (राज.) की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए, राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के तहत जब्तसुदा वाहन ट्रक एवं इको कार को जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पर रिलीज किये जाने हेतु पेश किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर (GCMS No. 33/2025) किया गया। अप्रार्थी थानाधिकारी बिलाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट जरिये पत्रांक 987 दिनांक 01.04.2025 से प्राप्त हुई।

प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता ने लिखित बहस में बतलाया कि प्रार्थी जगदीश बंजारा का वाहन ट्रक रजिस्ट्रेशन संख्या– RJ09-GA-7572 व इको कार रजिस्ट्रेशन संख्या– RJ06-CD-8607 पुलिस थाना बिलाड़ा द्वारा राजस्थान गोवंशीय अधिनियम की धारा 3, 5, 8 के तहत मुकदमा संख्या 368 दिनांक 24.12.2024 में जब्त किया गया। उक्त दोनों वाहनों का जगदीश बंजारा पंजीकृत स्वामी है। राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 6 ए के तहत जब्तसुदा वाहन का निस्तारण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाना है। बहस में आगे प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उक्त दोनों वाहनों ट्रक रजिस्ट्रेशन संख्या– RJ09-GA-7572 व इको कार रजिस्ट्रेशन संख्या– RJ06-CD-8607 को जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पर रिलीज करने की इस्तदुआ की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया तथा राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 व राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम 2018 का अध्ययन भी किया। धारा 6ए प्रवहण के साधन का अधिहरण का प्रावधान दिया गया तथा इसके लिए सक्षम प्राधिकारी (जिले का कलक्टर) प्राधिकृत है। धारा 6 ए (2) के अनुसार अयुक्तियुक्त विलम्ब के बिना अभिगृहित करने वाले व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, का प्रावधान है, पुलिस थाना बिलाड़ा द्वारा पालना नही की गई।

लगातार.......

जोधपुर (राज.)

जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)

धारा 6ए (2) के तृतीय परन्तुग में अधिहरण का आदेश करने के पूर्व, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण के साधन के स्वामी को अधिहरण के बदले में प्रवहण के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक के जुर्माने का संदाय का विकल्प दिया जाने का प्रावधान है।

थानाधिकारी बिलाड़ा की पुलिस रिपोर्ट (पत्रांक 987 दिनांक 01.04.2025) के अनुसार दिनांक 24.12.2024 को वक्त 12.04 एएम पर मन हैड कानि लखपतराम 159 मय जाब्ता कानि आशिष 1224 मय सरकारी वाहन बोलरो 112 चालक प्रकाश के रात्रिकालीन गश्त में रवाना हुआ, थाना हल्का क्षेत्र में गश्त करता हुआ कस्बा बिलाड़ा पहुंचा तो दौराने गश्त वक्त करीब 12.40 एएम पर जरिये टेलीफोन कन्ट्रोल रूम जोधपुर ग्रामीण से ईतला मिली कि उचियार्डा गौशाला के सामने रोड़ पर ग्रामीणों ने गौवंश से भरा एक ट्रक रूकवाया हुआ है तथा मौके पर काफी भीड़ है। मन आई.ओ. सरकारी वाहन के कस्बा बिलाड़ा से रवाना होकर वक्त 01:00 एएम पर उचियार्डा गौशाला के सामने पहुंचे व थाना से जरिये सरकारी वाहन बोलरो चालक जितेन्द्र सिंह कानि 1388 के थाना मुलाजमान रामखिलाड़ी कानि 937, श्रवण कुमार कानि 1409 भी मौके पर पहुंचे। मौके पर एक ट्रक नम्बर RJ09-GA-7572 ग्रामीणों द्वारा रूकवाई हुई खडी मिली जिसमें ठुस–ठुस कर बैल भरे हुये मिले एवं ग्रामीणों की काफी भीड़ इक्कट्ठी मिली एवं ग्रामीणों द्वारा तीन लोगों को घेरकर बैठा रखा हुआ। ट्रक में सवार व्यक्तियों का नाम पूछा तो अपना नाम मुंशी पुत्र मंगाराम जाति बंजारा, जगदीश पुत्र गोदू जाति बंजारा व विजय उर्फ विज्जु पुत्र किसनाराम जाति बंजारा होना बताया व ट्रक को एस्कोर्ट करने वाली गाड़ी नम्बर RJ06-CD-8607 का चालक गाड़ी छोड़कर मौके से भाग जाना बताया। पूछने पर उक्त गौवंश को काटने के लिये बुचड़खाना में भीलवाड़ा होते हुए उत्तरप्रदेश ले जाना बताया। उक्त शक्सान से गौवंश को राजस्थान से उत्तरप्रदेश ले जाने बाबत अनुज्ञापत्र व लाईसेन्स/परमिट मांगा तो अपने पास कोई अनुज्ञापत्र या परमिट नही होना बताया व गौवंश को गौकशी के लिए ले जाना बताया। उक्त शक्सान के पास गौवंश को राजस्थान से उत्तरप्रदेश ले जाने बाबत कोई वैध अनुज्ञापत्र व लाइसेन्स या परमीट नही होने से तथा गौवंश बैलों को गौकशी के लिए उत्तरप्रदेश ले जाने से उक्त शक्सान का उक्त कृत्य अपराध धारा 3, 5, 8 राजस्थान गौवंश पशु व अस्थाई प्रवर्तन या नियर्मात का विनियमन अधिनियम 1995 की तारीफ में आना पाया जाने पर उक्त शक्सान के कब्जे में मिली गौवंश कुल 20 बैलों को जरिये फर्द बरामदगी के पृथक से कब्जा पुलिस मे लिया गया। उक्त शक्सान को जुर्म धारा से अवगत कराया जाकर उनके संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए जरिये फर्द गिरफ्तारी के पृथक पृथक से गिरफ्तार किये गये। प्रकरण हाजा 368 दिनांक 24.12.2024 धारा 3,5,8 राजस्थान गौवंश पशु व अस्थाई प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन अधिनियम 1995 में दर्ज कर तफतीश जाब्ता शुरू किया गया। सम्पूर्ण अनुसंधान से मुलजिमान मंन्शी पुत्र मंगाराम, जगदीश पुत्र गोदू व विजय उर्फ विज्जु पुत्र किसनाराम द्वारा बिना लाईसेन्स अनुज्ञापत्र/परमिट के ट्रक RJ09-GA-7572 में

लगातार.............................

जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)

अवैध गौवंश व परिवहन करना पाया गया व रूबरू मौतबीरान के गौशाला समिति उचियार्डा के अध्यक्ष को जरिये फर्द सुपुदर्गीनामा के सुपुर्द किये ऐस्कोट करने वाली गाड़ी नम्बर RJ06-CD-8607 को जरिये फर्द जब्ती के जब्त किया गया। मुलजिमान मंन्शी पुत्र मंगाराम, जगदीश पुत्र गोदू व विजय उर्फ विज्जु पुत्र किसनारामके विरूद्ध जुर्म धारा 3, 5, 8 राजस्थान गौवंश पशु व अस्थाई प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन अधिनियम 1995 का प्रमाणित है। मुकजमा हाजा में मुलजिमान के विरूद्ध जुर्म धारा 3, 5, 8 राजस्थान गौवंश पशु व अस्थाई प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन अधिनियम 1995 में नतीजा चालान आदेश प्राप्त किया जाकर चार्जशीट नम्बर 266 दिनांक 31.12.2024 धारा 3, 5, 8 राजस्थान गौवंश पशु व अस्थाई प्रवर्तन या निर्यात का विनियमन अधिनियम 1995 में कता की गई जो माननीय न्यायालय में पेश करना शेष है। रिपोर्ट में जब्तसुदा वाहन ट्रक रजिस्ट्रेशन संख्या– RJ09-GA-7572 व रजिस्ट्रेशन संख्या– RJ06-CD-8607 की अनुसंधान में आवश्यकता नही होना बताया।

अतः प्रथम दृष्टया प्रार्थी जगदीश बंजारा का जब्तसुदा वाहन सं. RJ09-GA-7572 व RJ06-CD-8607 का उपयोग उक्त अपराध के लिये किया गया वाहन अधिहरण योग्य है तथा धारा 6ए (2) के तृतीय परन्तुग में उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण के साधन के स्वामी को अधिहरण के बदले में प्रवहण के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक के जुर्माने का संदाय का विकल्प दिया जाने का प्रावधान है, की पालना में वाहन स्वामी के जब्तसुदा वाहन RJ09-GA-7572 व RJ06-CD-8607 को जब्तसुदा वाहनों के वर्तमान बाजार मूल्य का जमानतनामा व उसी मूल्य का सुपुर्दगीनामा पेश करने पर निम्नशर्तो के अधीन वाहन स्वामी को वाहन लौटाने के आदेश दिया जाता है:–

1– उक्त वाहन न्यायालय में चल रहे प्रकरण का निस्तारण होने न होने तक बेचान नही किया जायेगा।

2–न्यायालय द्वारा तलब करने पर न्यायालय में पेश करना होगा।

3– वाहन में किसी प्रकार से बदलाव नही करेंगे।

थानाधिकारी बिलाड़ा को आदेशित किया जाता है कि वे वाहन स्वामी/प्रार्थी द्वारा उनके समक्ष उक्त आदेश की पालना में जब्तसुदा वाहनों RJ09-GA-7572 व RJ06-CD-8607 के वर्तमान बाजार मूल्य का जमानतनामा व उसी मूल्य का सुपुर्दगीनामा पेश करने पर उक्त वाहनों के मूल दस्तावेजों का मिलान करने के उपरांत उक्त वाहनों को वाहन स्वामी को लौटा/सुपुर्द कर दिया जाय।

आदेश आज दिनांक 22.04.2025 को सुनाया गया व हस्ताक्षरित किया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर, जोधपुर

जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)